

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)**-:: विविध आदेश ::-**

कमांक: 55 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 28 अप्रैल, 2021

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जारी मानक सुनवाई प्रक्रिया संबंधी परिपत्र कमांक ए/113 जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र क्र. ए/1095 दिनांक-26.03.2021, एडिशनल एस.ओ.पी. क्र. ए/1149 दिनांक-03.04.2021, एडिशनल एस.ओ.पी. दिनांक-20.04.2021 के पालन में कार्यालय से जारी विविध आदेश कमांक 51/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 22.04.2021 की निरन्तरता में कोविड-19 से उत्पन्न संक्रमणकाल की भयावहता को देखते हुए मैं, एल0डी0 बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा आज दिनांक 28.04.2021 को तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक के लिए जिला न्यायालय पूर्व निमाड खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप-तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण, न्यायिक कर्मचारीगण, पुलिस विभाग से अनिवार्यतः पालन की अपेक्षा करते हुए पूर्णतया वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश-आदेश जारी करता हूँ कि :-

- (1) प्रत्येक कार्य दिवस में तात्कालिक एवं अत्यावश्यक सुनवाई योग्य वादपत्र, सिविल नियमित एवं विविध अपील, जमानत आवेदनपत्र, सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र ई-फाईलिंग द्वारा दोपहर 02.00 बजे तक पेश कर दिये जावें। इस समय के पश्चात् पेश होने वाले ऐसे मामलों को आगामी कार्य दिवस में ही सुनवाई में लिया जा सकेगा।
- (2) जमानत आवेदनपत्र/सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र में केस डायरी संबंधित न्यायालय को मय प्रतिवेदन प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 02.00 बजे तक उपलब्ध करवा दी जावे, प्रत्येक पुलिस थाना द्वारा CCTNS पर भी संबंधित केस डायरी अपडेट रखी जायें, ई-मेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को उपलब्ध करा दी जावें।
- (3) सत्र न्यायालय (अपर सत्र न्यायालय), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/सिविल जज के न्यायालय प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक तात्कालिक एवं अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे। निम्नानुसार कार्य दिवस के लिए ऐसी तारीख के सामने दर्शाये न्यायिक अधिकारी के द्वारा अपने न्यायिक कार्य का निष्पादन किया जावेगा :-

अ.क.	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम
01.	28.04.2021	(1) श्रीमती किरण सिंह, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश (2) श्री एल0के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
02.	29.04.2021	(1) श्री पी0सी0 आर्य, विशेष न्यायाधीश (2) श्री विपेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
03.	30.04.2021	(1) श्रीमती किरण सिंह, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश (2) श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
04.	01.05.2021	(1) श्री पी0सी0 आर्य, विशेष न्यायाधीश (2) श्रीमती नमिता द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

- (4) नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग, मालखाना अनुभाग, अभिलेखागार अनुभाग यथावत पूर्व आदेशानुसार ही जारी रखा जावे। किसी कारण से अभिलेखागार और प्रतिलिपि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या में कमी रहती अथवा कार्य की

अधिकता होती है तो उपरोक्तानुसार वर्णित न्यायिक अधिकारीगण के न्यायालयों से भिन्न न्यायालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। उक्त अवधि में सभी कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, उन्हें किसी भी समय तात्कालीक एवं अत्यावश्यक कार्य के निष्पादन हेतु बुलाया जा सकेगा।

उक्तानुसार आदेश आज ही जारी किया जाए। प्रतियाँ संबंधित सभी को उपलब्ध कराई जाए।

सही

(एल0डी0 बोरसी)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठांक0 856 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 28 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप-प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।



जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)